न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **95 / 2017** अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
फतनखान पुत्र अंतरखान जाति मुसलमान, निवासी अम्बावाड़ी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज. राज्य जरिये 1. जिला कलक्टर बाड़मेर 2. तहसीलदार शिव 3. सहायक अभियंता खनिज विभाग खनिज भवन, सिणधरी चौराहा बाड़मेर

उपस्थित :– वादी अधिवक्ता – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 03.10.2025

वादी के वाद पत्र के संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी के कब्जा काश्त की भूमि मौजा अम्बावाड़ी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 465 रकबा 53.01 बीघा की आई हुई है। उक्त विवादित आराजी पर वक्त सेटलमेंट से ही वादी व उनके पूर्वजों का बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के रहवासी ढाणी, पानी के टांके व मवेशियों के पशु बाड़े आदि बने हुए है। पूर्व में वादी के नाबालिग होने पर वादग्रस्त आराजी पर वादी के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा था। वादी ग्रामीण व अनपढ होने से उसे राजस्व रेकर्ड का ज्ञान नहीं रहा है। वादी एक निर्धन व्यक्ति है, जिसकी आजीविका का एकमात्र साधन कृषि कार्य ही है। जब वादी द्वारा सरकारी योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तब सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि विवादित आराजी उसके नाम दर्ज नहीं होकर सरकारी खाता में सरकारी भूमि दर्ज है। वादी व उसके पूर्वजों का विवादित आराजी पर लगातार 35 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः वादी द्वारा विवादित आराजी सरकारी खाता मे दर्ज होने से एडवर्स पजेशन के आधार स्वयं के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया गया है। वर्तमान में प्रतिवादीगण वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से उसका अनुचित लाभ उठाकर वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। अतः वादी द्वारा विवादित आराजी में अपने लगातार कब्जा काश्त के आधार पर विवादित आराजी में से 40.00 बीघा भूमि स्वंय की खातेदारी घोषणा करवाने बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी राज पैरोकार नायब तहसीलदार शिव द्वारा वादी के वाद का पदवार जवाब पेश करते हुंए वादी द्वारा उक्त विवादित आराजी को हड़पने की नियत तथा बिना किसी आधार व सबूत के पेश करने पर प्रस्तुत वाद को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। वाद में विवाद्यक पैदान होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त भूमि ग्राम अम्बावाड़ी, तहसील शिव के ख.न. 465 रकबा 53.00 बीघा में से 40.00 बीघा भूमि वादी अपनी खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है?

   जिम्मे वादी

2. आया वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है?

   जिम्मे वादी

3. आया वादग्रस्त भूमि में पिछले 35 वर्षो से वादी व उसके पूर्वज तथा वादी के पिता की मौके पर रहवासी ढाणी, पानी के टांके व मवेशियों के पशु बाड़े इत्यादि बने होने के कारण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वादी अपनी खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है?

   जिम्मे वादी

4. आया वादग्रस्त आराजी पर वादी केवल अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से सरकारी भूमि को किसी प्रकार की खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है?

   जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं होने से वादी किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है?

   जिम्मे प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:17:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

तत्पश्चात् साक्ष्य वादी तलब की गई, जिस पर वादी के द्वारा साक्ष्य वादी में साक्ष्य स्वरूप वादी स्वंय पीडब्ल्यू–1, समेलाराम पीडब्ल्यू–2 के मुख्य परीक्षा स्वरूप शपथ–पत्र पेश किये गये तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श करवाते हुए प्रतिवादी राजपैरोकार द्वारा जिरह की गई, गवाहान के बयान कलमबद्व किये जाकर शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करने पर प्रतिवादी साक्ष्य का अवसर बंद किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी सेटलमेंट से पूर्व वादी के पिता अंतराखान के कब्जा–काश्त में थी तथा वक्त सेटलमेंट से उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा–काश्त निर्वाध रूप से लगातार चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी में वादी के रहवासी ढाणी, पानी के टांके व पशुवाड़े बने हुए है। अतः वादग्रस्त आराजी में वक्त सेटलमेंट से लेकर आदिनांक तक लगातार वादी का कब्जा काश्त होने से वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 465 रकबा 53.01 बीघा में से 40.00 बीघा भूमि वादी की खातेदारी घोषित की जावे।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में शामिल दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन तनकीवार निम्नानुसार विवेचन किया गया, जो निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या (एक) – आया वादग्रस्त भूमि ग्राम अम्बावाड़ी, तहसील शिव के ख.न. 465 रकबा 53.00 बीघा में से 40.00 बीघा भूमि वादी अपनी खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है? उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था, वादी के द्वारा साक्ष्य वादी में साक्ष्य स्वरूप वादी स्वंय पीडब्ल्यू–1 व पीडब्ल्यू–2 के मुख्य परीक्षा स्वरूप शपथ–पत्र पेश किये गये। वादी साक्ष्य पीडब्ल्यू–1 व पीडब्ल्यू–2 से प्रतिवादी राजपैरोकार जिरह की गई, वादी द्वारा जिरह में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकार के नाम दर्ज है, जिसमें मेरा लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मुझे वहां से बेदखल नही किया जावें। मेरे द्वारा उक्त दावा भूमि खनिज विभाग को आरक्षित होने पर पेश किया गया है। पटवारी द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिसका जुर्माना मेरे द्वारा भर दिया गया है। पीडब्ल्यू–2 द्वारा जिरह में बताया कि मैं वादग्रस्त आराजी के खेत का सेढा पड़ौसी हुं। उक्त वादग्रस्त आराजी पर फतनखान का कब्जा चला आ रहा है तथा पूर्व मे इसके पिता का कब्जा काश्त था, लेकिन कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया, जिससे सिद्व हो सके कि वादग्रस्त आराजी वादी की हो। वादी द्वारा ऐसा कोई विधिक दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि वादी का लगातार कब्जा काश्त रहा हो। वादी के द्वारा सेटलमेंट के बाद असाधारण देरी से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी राज पैरोकार द्वारा अपने जवाब में वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से अतिक्रमण करने पर धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत बेदखली की कार्यवाही की जाकर बेदखल किया जाता रहा है। अतिक्रमी की हैसियत से कोई अतिक्रमी खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा सरकारी भूमि को हड़पने की नियत से वाद पेश किया गया है, विधि सम्मत नहीं है। अतः उक्त स्थिति में केवल अतिक्रमण तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 को साबित करने में वादी पूर्णतया असफल रहा है। तनकी संख्या 01 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (दो) – आया वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है? उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था, वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी नहीं होने तथा वादग्रस्त आराजी पर वादी का लगातार कब्जा काश्त हो ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज वादी के द्वारा प्रस्तुत नहीं करने तथा भूमि सरकारी खाता में दर्ज होने से वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का विधिक अधिकारी नहीं होने से उक्त तनकी संख्या 02 [illegible] है।

तनकी संख्या (तीन) – आया वादग्रस्त भूमि में पिछ[illegible] से वादी एवं उससे पूर्व वादी के पिता की मौके पर रहवासी ढाणी, पानी के [illegible] इत्यादि बने होने के कारण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वादी अपनी [illegible] का अधिकारी है? इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा उक्त वाद मात्र प्रतिकूल कब्जा के आधार पर व मनगढत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया प्रतीत होता है। पत्रावली में वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी में स्वयं का लगातार कब्जा काश्त होने का कथन किया गया है, साथ ही वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी खनिज विभाग को आरक्षित होने पर वाद पेश करने का कथन किया गया है जो परस्पर विरोधी प्रतीत होते है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में केवल प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी घोषणा नहीं करवा सकता है। लिहाजा उक्त तनकी भी वादी के प्रतिकुल होने से विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:17:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

तनकी संख्या (चार) – आया वादग्रस्त आराजी पर वादी केवल अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से सरकारी भूमि को किसी प्रकार की खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, वादी द्वारा केवल कब्जा के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। जबकि सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा पाये जाने पर नियमानुसार उसके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जाती है। अतः वादी वादग्रस्त आराजी पर केवल अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने एवं खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं होने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (पांच) – आया वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं होने से वादी किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। चूंकि वादी अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। उक्त तनकी के संबध में पूर्व में तनकी संख्या 2 में विवेचन किया जा चुका है, जो वादी के विरूद्ध निर्णित होने से उक्त तनकी भी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजी वक्त बंदोवस्त से सरकारी भूमि दर्ज होने एवं वर्तमान में खनिज विभाग बाड़मेर को आरक्षित होने से वादी द्वारा केवल कब्जा प्राप्ति के आधार पर खातेदारी घोषणा की इस्तदुआ चाहने तथा वाद परिसीमा की मियाद अवधि से बाहर होने व वादी सरकारी भूमि को केवल अतिक्रमी की हैसियत से खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं होने से वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)शिव

निर्णय आज दिनांक 03.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:17:58 IST
Reason: SelfAttested